| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 28/2/2013 | **सारण समाहरणालय, छपरा।**<br>**न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।**<br>**जिला विधि प्रशाखा**<br>**आपूर्त्ति अपील सं0 130/2011**<br>**दिनेश्वर प्रसाद राय बनाम राज्य एवं अन्य**<br>**आदेश**<br><br>यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1110/आपूर्त्ति दिनांक 3/12/2011 के विरूद्ध दायर किया गया है।<br><br>वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 21/11/2011को अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें दुकान बंद पाई गई थी और कई उपभोक्ताओं ने अपीलकर्त्ता के विरूद्ध जबरदस्ती कूपन रख लेने और अनियमित वितरण करने का आरोप लगाया था। तत्पश्चात् प्रश्नगत आदेश पारित किया गया।<br><br>प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्त्ता ने स्पष्ट किया कि यह सही है कि उनकी दुकान निरीक्षण तिथि को बंद थी, किन्तु इसका कारण यह था कि उनका भंडार शून्य था और वे किरासन तेल के उठाव के संबंध में जानकारी प्राप्त करने प्रखंड आपूर्त्ति कार्यालय गए थे। इसके पक्ष में उन्होंने कहा कि निरीक्षण तिथि के अगले ही दिन किरासन तेल का उठाव किया था। अपीलकर्त्ता ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने उनके विरूद्ध कूपन फाड़ लेने और अनियमित वितरण आदि करने के आरोप लगाए हैं, वे उनके प्रतिष्ठान के सम्बद्ध उपभोक्ता नहीं है, इसलिए उनके आरोपों का वैधिक महत्व नहीं है।<br><br>प्रश्नगत आदेश का समर्थन करते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जानकारी लेने के बहाने दुकान बंद करना गैर–कानूनी है और प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।<br><br>दोनों पक्षों को सुना तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष दिए गए तर्क और इस न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्क में एक बात पर अंतर्विरोध है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष अपीलकर्त्ता ने दुकान बंद होने का कारण यह बताया था कि वे उठाव के संबंध में जानकारी लेने के लिए प्रखंड आपूर्त्ति कार्यालय गए थे, जबकि इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्त्ता ने यह दलील | |

28/4/13